ऑन लाईन नं. GCMS 2024/213

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 61/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री लालचंद (विकेता व प्रोपराइटर), निवासी मकान नंबर 37, गली नंबर 10, प्रेमनगर, जिला श्रीगंगानगर
   मैसर्स– जिन्दल ट्रेडिंग कंपनी, गांव 21 जीजी बुर्जवाली, श्रीगंगानगर(निर्माण ईकाई)।
   (पंजीकृत कार्यालय–32 संत कृपाल आश्रम, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, सेतिया कलोनी, श्रीगंगानगर)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक: 23.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–संख्या प.5 (01) चिस्या / ग्रुप–3 / ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.09.2024 को समय 05.30 पीएम बजे को **मै. जिन्दल ट्रेडिंग कंपनी, गांव 21 जीजी बुर्जवाली, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर श्री संदीप कुमार पुत्र श्री लालचंद (विकेता व प्रोपराईटर) को अपना परिचय देकर संस्थान पर Mustard oil (Super star Brand) 437.5 ML के 6 कार्टून में(प्रत्येक में 180 नग) 875 ML के 4 कार्टुन में प्रत्येक में 60 नग (Pet bottele pack) व 32 गैलन 175 ML चार कार्टुन के अंदर तैयार कर रखे थे, के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वंय को संस्थान का प्रोपराईटर बताया व संस्थान में रखे Mustard oil (Super star Brand) 437.5 ML के 6 कार्टून में(प्रत्येक में 180 नग) 875 ML के 4 कार्टुन में प्रत्येक में 60 नग (Pet bottele pack) व 32 गैलन 175 ML चार कार्टुन को आमजन में विक्रय वास्ते होना बाताया, इसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ Mustard oil (Super star Brand) का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री संदीप कुमार पुत्र श्री लालचंद (विकेता व प्रोपराइटर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री संदीप कुमार पुत्र श्री लालचंद (विकेता व प्रोपराइटर)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध Mustard oil (Super star Brand) 437.5mlx4=1-750 ML के 4 मूल सील

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्लास्टिक बोतल पैकेड विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ Mustard oil (Super star Brand) का नगद भुगतान 260 रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Mustard oil (Super star Brand) चार सील प्लास्टिक बोतल पैकेड पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2442** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2442** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोवरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री लालचंद (विकेता व प्रोपराइटर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेपक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेपक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेप दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1121/Act/2024/1121 Dated 08.10.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2442 SubStandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोवारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोवारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री लालचंद (विकेता व प्रोपराइटर), निवासी मकान नंवर 37, गली नंवर 10, प्रेमनगर, जिला श्रीगंगानगर, मैसर्स– जिन्दल ट्रेडिंग कंपनी, गांव 21 जीजी बुर्जवाली, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **Mustard oil (Super star Brand)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.12.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलव किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाव में कथन किया कि

1– यह कि परिवाद की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

2– यह कि परिवाद की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है।

3– यह कि परिवाद की चरण संख्या 3 के सम्बंध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी के संस्थान पर पहुंचकर प्रार्थी से जानकारी चाहे जाने पर प्रार्थी द्वारा जानकारी दी गई, परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मनमानी कार्यवाही करते हुए सरसों के तेल में मिलावट होने का केवल शक जाहिर किया गया और फिर मनमाने ढंग से कार्यवाही की गई है, जो कि कतई अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहा सरसों का तेल उच्च क्वालिटी का मिलावट रहित है।

4– यह कि परिवाद की चरण संख्या 4 में अंकित तथ्यों के सम्बंध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय जो रसीद कैश मीमो की प्रति पेश की गई है, वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुद्रित एवं हस्तलिखित रसीद है। उक्त मुद्रित कैश मीमो/विक्रय बिल में अंकित लेखन/भाषा किसी कैश मीमों की नहीं है। यह आवेदक की स्वयं की मुद्रित कैश मीमो है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं की मुद्रित कैश मीमो पर जबरन प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये है। यहां पुनः उल्लेखित करना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय एवं कार्यवाही के दौरान समस्त कार्यवाही एवं दस्तावेजों के सम्बंध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया है, एक गवाह विभाग का रखा गया व एक गवाह प्रार्थी के यहां कार्य करने वाले व्यक्ति के दबावपूर्वक हस्ताक्षर करवाए गए, जबकि विधिनुसार कम से कम एक स्वतंत्र गवाह लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सम्बंधित परिवाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से एफ०एस०एस०ए० अधिनियम, 2006 के प्रावधानानुसार विधिवत रूप से नहीं किया गया है।

5– यह कि परिवाद की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। इसके सम्बंध में जवाब परिवाद की चरण संख्या 4 में विस्तारपूर्वक जवाब में दिया जा चुका है।

6– यह कि परिवाद की चरण संख्या 6 में उल्लेखित तथ्य के संबंध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही मनमाने ढंग से कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना के सम्बंध में उक्त परिवाद प्रस्तुत करते समय भी सरसों के तेल के लिए गए नमूने के सम्बंध में एकरूपता प्रदान करने एवं सैम्पल लेने हेतु मूल सील्ड बोतले विक्रेता से खरीद करना बताया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय एवं कार्यवाही के दौरान समस्त कार्यवाही एवं दस्तावेजों के सम्बंध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया है, एक गवाह विभाग का रखा गया व एक गवाह प्रार्थी के यहां कार्य करने वाले व्यक्ति के दबावपूर्वक हस्ताक्षर करवाए गए, जबकि विधि अनुसार कम से कम एक स्वतंत्र गवाह लिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

7– यह कि परिवाद की चरण संख्या 7 में अंकित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किए गए है, वह अस्वीकार है।

8– यह कि परिवाद की चरण संख्या 8 में अंकित तथ्यों के सम्बंध में निवेदन है कि खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि जो नमूना पैकिंग सहित खाद्य विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया था, उसकी फार्म संख्या 5ए फर्द रिपोर्ट व फार्म संख्या 6 ममोरेंडम में कहीं भी Best Before Nutritional Information MFG Date, Weight, आदि का ब्यौरा नहीं अंकित किया गया है।

9– यह कि परिवाद की चरण संख्या 9 में वर्णित तथ्यों के संबंध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई है, जिसके तहत कार्यवाही करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माननीय जिला कलैक्टर को Improvement Notice जारी करने की सिफारिश की जानी चाहिए थी। उक्त नियम की पालना भारत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के अन्य राज्यों में की जाती है, जबकि उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 जिसमें कि यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण प्रस्तुत किया है. वह नियम–विरूद्ध है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण इसी आधार पर खारिज फरमाये जाने योग्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17–03–2017 के द्वारा सूचना में Best Before होने पर क्या फुड मिस ब्राण्डेड की परिभाषा में आएगा, के जवाब में लिखा है कि नहीं आएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 19–01–2016 में धारा 32 के सम्बंध में स्पष्ट किया है जिसकी पालना में सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई है, जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। देश के अन्य प्रांतों में भी उक्त नोटिस जारी कर सुधार हेतु मौका दिया जाता है।

10– यह कि परिवाद की चरण संख्या 10 व 11 में वर्णित तथ्यों के सम्बंध में निवेदन है कि प्रार्थी पर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद की कार्यवाही खारिज किए जाने योग्य है।

11– यह कि परिवाद की चरण संख्या 12 में वर्णित तथ्यों प्रार्थी के विरूद्ध साबित नहीं होने से परिवाद की कार्यवाही को ड्रोप किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः जवाब परिवाद प्रार्थी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों की कोई अवेहलना नहीं की गई है और जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है, जिससे किसी को असुरक्षा भी नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद न्यायहित में निरस्त किए जाने योग्य है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard oil (Super star Brand)** का सैम्पल **K-2442** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक–L.S./1121/Act/2024/1121 Dated 24.09.2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों की कोई अवेहलना नहीं की गई है और जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है, जिससे किसी को असुरक्षा भी नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद न्यायहित में निरस्त किए जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mustard Oil"** bearing Code No and Sr. No. **K-2442**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Substandard food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011**.की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री लालचंद (विक्रेता व प्रोपराइटर), निवासी मकान नंबर 37, गली नंबर 10, प्रेमनगर, जिला श्रीगंगानगर, मैसर्स– जिन्दल ट्रेडिंग कंपनी, गांव 21 जीजी बुर्जवाली, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री लालचंद (विक्रेता व प्रोपराइटर), निवासी मकान नंबर 37, गली नंबर 10, प्रेमनगर, जिला श्रीगंगानगर, मैसर्स– जिन्दल ट्रेडिंग कंपनी, गांव 21 जीजी बुर्जवाली, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner